न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

पंचायत निगरानी संख्याः 209/2023 GCMS No.—2023/478

श्रवण सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पदम सिंह उम्र 67 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम बगरू रावान, पोस्ट अवानिया, तहसील सांगानेर, जयपुर हाल निवास प्लॉट नंबर बी–7, नेताजी सुभाष नगर द्वितीय, टोंक रोड, हरि मार्ग, जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. सीताराम सिंह पुत्र स्व0 श्री हनुमान सिंह,
2. तुलसी सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हनुमान सिंह दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री केसर सिंह
3. ग्राम पंचायत अवानिया, जरिये सचिव, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत अवानिया द्वारा विपक्षी संख्या 1 को गैर कानूनी तौरी तरीके से व समस्त नियमों के विरूद्ध आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 22.10.2019 को जारी किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री विष्णु शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय दिनांकः 21.12.2023

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत अवानिया, पंचायत समिति, सांगानेर के निर्णय/आदेश दिनांक 22.10.2019 जिसके द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 सीताराम सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बगरू रावान, तहसील सांगानेर को पट्ट संख्या 87 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 10.01.2023 को न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1व 2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी गयी।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्तागण एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के पूर्वजो के कब्जेशुदा आवासीय भूमि स्थित है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 व 2 एवं निगरानीकार वर्षो से निवास करते आ रहे है। निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है एवं उक्त वर्णित 605.44 वर्गगज की सम्पत्ति में दोनो पक्ष जिस जिस हिस्से पर काबिज है, उसका मौखिक बंटवारा पक्षकारों के पूर्वजो द्वारा कर लिया गया था लेकिन उक्त बंटवारे को पहले लिखित स्वरूप नहीं दिये जाने के कारण दिनांक 10.12.2014 को निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के मध्य एक पारिवारिक समझौते पत्र तहरीर व तकमील किया गया। जिसमें मौखिक समझौते को याददाश्ती के रूप में लेखबद्व कर निष्पादित किया गया। जिसके अर्न्तगत

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त सम्पत्ति के कुल क्षेत्रफल 97.22 वर्गगज भूमि पर काबिज है, इस कारण निगरानीकर्ता भविष्य में उक्त सम्पत्ति में अपने समस्त अधिकार त्याग करता है और इस प्रकार शेष रही सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 508.22 वर्गगज है में समस्त प्रकार का मालिकाना हक व अधिकार निगरानीकर्ता का रहेगा। उक्त पारिवारिक समझौते के पश्चात विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत अवानिया पंचायत समिति सांगानेर में कुल 285.35 वर्गगज भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया। ग्राम पंचायत अवानिया द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना निगरानीकर्ता के हक अधिकार की भूमि का पट्टा संख्या 87 विपक्षी संख्या 1 के हक में दिनांक 22.10.2019 को जारी कर दिया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया साथ ही वार्ड पंच गण की रिपोर्ट में स्वयं की कोई नाप जोख नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शें के अनुसार ही भूमि मौके पर पाया जाना कथित किया गया है और मकान का कोई विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। वार्डपंचगण को यह पूर्ण रूप से ज्ञान था कि विपक्षी संख्या 1 सम्पूर्ण आवेदित भूमि का ना तो कब्जेधारी है और ना ही स्वामी है। निगरानीकर्ता के जयपुर के निवास करने के कारण बाला–बाला रूप से विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत तथ्य को छिपाते हुए झूठी कार्यवाही कर निगरानीकर्ता के पूर्वजो के कब्जेशुदा भूमि को मिलाते हुए अधिक भूमि का पट्टा प्राप्त कर लिया इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के हक में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने में पंचायती राज अधिनियम 1994 में निहित नियमों की पालना नहीं की है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या एक के हक में दिनांक 22.10.2019 को ग्राम पंचायत अवानिया, पंचायत समिति सांगानेर के द्वारा जारी पट्टा संख्या 87 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार के कथनों पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पट्टा पत्रावली तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत अवानिया द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.08.2019 को वार्ड पंचगण को मौका निरीक्षण हेतु आदेशित किया। जिसके उपरान्त वार्डपंचगण द्वारा दिनांक 05.09.2019 को मौका निरीक्षण किया एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का 40 वर्षो से बिना किसी आपत्ति के कब्जा होना जाहिर किया। जिसके आधार पर दिनांक 22.10.2019 को ग्राम पचायत अवानिया द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में अर्न्तगत राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 87 क्षेत्रफल 285.35 वर्गगज का जारी किया गया। निगरानीकार अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टा निगरानीकर्तागण के पैतृक कब्जेशुदा शामलाती मकान का बिना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण) जयपुर

निगरानीकर्तागण की सुनवाई किये गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया जो न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में निगरानीकार द्वारा पक्षकारान के मध्य दिनांक 10.12.2014 को निष्पादित पारिवारिक समझौते की छायाप्रति पेश की जिसमें गैर निगरानीकार द्वारा विवादित भूमि में 97.22 वर्गगज भूमि पर हक अधिकार हेतु सहमति दी है। उक्त समझौते पर निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर है। जिससे प्रथम दृष्टया गैर निगरानीकार द्वारा अपने हक अधिकार की भूमि से अधिक भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से तथ्य छुपाकर लिया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधिवक्ता निगराानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यो के आधार पर जाहिर होता है ग्राम पंचायत अवानिया द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किये जाने में निगरानीधीन पट्टे की भूमि/आवासीय भूखण्ड में निहित सभी हिस्सेधारियों के हक अधिकार की पूर्ण जांच नहीं की गयी है। इसलिए प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचाायत राज अधिनियम 1996 में निहित नियमों की पूर्णतया पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अवानिया, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा संकल्प संख्या 01 आदेश दिनांक 21.10.2019 की अनुपालना में आदेश दिनांक 22.10.2019 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 सीताराम सिंह पुत्र हनुमान सिंह निवासी ग्राम बगरू रावान, ग्रा.प. अवानिया, तहसील सांगानेर के हक में जारी पट्टा संख्या 87 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत अवानिया, पंचायत समिति सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर, उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, निगरानीधीन पट्टे की भूमि में उभय पक्ष के निहित हिस्से, हक अधिकार की जांच कर राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 में निर्धारित कानूनी प्रकिया का अक्षरशः पालन करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)